राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांकःएफ–2(केटे)प्राशिमं / भंडार(सम्पदा) / 2018 / 4645 दिनांक 18 JUL 2018

सीमित निविदा (18–19)

निम्नलिखित कार्य संविदा पर करने हेतु अधिकृत ऐजेंसी / गेर सरकारी संगठन जो कि इस प्रकार के कार्य कराने हेतु अधिकृत / पंजिकृत है से मुहरबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक **26–07–2018** को **11–00 (ग्यारह) बजे** सुबह तक बेची जायेगी तथा दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन **दोपहर 3–00 (तीन) बजे** उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष सर्व प्रथम तकनीकी बिड़ खोली जायेगी :–

क्र. सं	कार्य का विवरण	अनुमानित दर
1	तकनीकी शिक्षा मंडल का कार्यालय परिसर, ऊपर नीचे के बरामदें, विश्राम गृह, एवं शौचालयों की सफाई का कार्य संलग्न विवरण के अनुसार संविदा दर पर करना।	रू 1,60,000/- प्रति वर्ष सामग्री व सेवा शुल्क सहित

शर्तेः–

1. फर्म को उपरोक्त सफाई कार्य के लिये तीन सफाई कर्मचारियों से प्रतिदिन सुबह 8.30 से दोपहर 12.30 बजे तक संलग्न सफाई व्यवस्था कार्य क्षेत्र अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा।
2. आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिन के भीतर रू 500 / – (रूपये पांच सौ) मात्र के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निविदादाता को अनुबंध करना होगा।
3. संविदा अवधि में संविदा कार्य निष्पादन के दौरान कर्मचारी की दुर्घटना या मृत्यु हो जाने की दशा में समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। जिसके लिये सामूहिक बीमा निविदादाता को अपने स्तर पर कराना होगा एवं दुर्घटना की समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि नियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. ठेका कार्य नियोजित किये जाने वाले निविदादाता को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व होगा। सरकार द्वारा होने वाली न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी का वहन भी निविदादाता द्वारा किया जावेगा। किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान निविदादाता को इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता को रूपये 4000 / – (रूपये चार हजार) मात्र अमानत राशि के रूप में निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराने होगें एवं सफल निविदादाता को रूपये 6,000 / – (रूपये छः हजार) मात्र प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त जमा कराने होगें। निविदा फार्म के रूपये 200 / – (रूपये दो सौ) मात्र जमा कराने होंगे।
6. निविदादाता द्वारा समस्त कर आदि सम्मिलित करते हुऐं दरें निविदा के परिशिष्ट (ब) पर दी गई वित्तीय बिड सारणी में अंकित की जानी है। वित्तीय बिड में अंकित दरें सभी कर सहित होगी। निविदादाता को इन दरों के अतिरिक्त किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. निविदा के अन्य शर्तो का विवरण एवं Request for proposal (R.F.P.) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
8. निविदा दो चरणों में प्राप्त की जावेगी। प्रथम तकनीकी बीड एव द्वितीय वित्तीय बीड। निविदादाता को परिशिष्ट (अ) में तकनीकी बिड पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी । तकनीकी बीड में सफल होने पर उस फर्म की वित्तिय बीड खोली जावेगी। अतः निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि तकनीकी बीड में परिशिष्ट (अ) के बिन्दू संख्या 1 से 7 की पूर्ति करें एवं वित्तिय बीड परिशिष्ट (ब) की पूर्ति कर अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें। दोनों लिफाफों के उपर तकनीकी / वित्तिय बिड पृथक पृथक लिखा जावे। तत्पश्चात तकनीकी बिड लिफाफा एवं वित्तीय बीड लिफाफा को एक अन्य बडे लिफाफे में डालकर, इस बडे लिफाफे को कार्यालय में जमा कराया जायेगा।
9. अपूर्ण भरे हुए टेण्डर फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।

M. L. Purohit 18/7/18

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक एफ–2(केटे)प्राशिमं / स्थापना / 2018 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. केयर टेकर, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर को सूचनार्थ।
3. श्री पुखराज पालीवाल, प्रुफ रीडर, प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर को एस.पी.पी.पी. पोर्टल एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड :–मण्डल / निदेशालय पर चस्पा करवाने हेतु।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

निविदा की शर्ते

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हक होगें।
3. संवेदक द्वारा उपलब्ध मानव संसाधन की सेवायें यदि 4 घन्टे से कम दी जाती है तो ऐसे दिनों के लिए मजदूरी की गणना अनुमोदित दरों की 50 प्रतिशत के अनुसार की जायेगी।
4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा एवं इसका विवरण प्रत्येक माह संवेदक द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। इसकी संतुष्टी उपरांत आगामी माह का बिल पारित किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर श्रमिकों को संवेदक द्वारा बढी हुई दर से अन्तर राशि का भुगतान करना होगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार नियोजित श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। इसमें श्रमिक एवं संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक माह जमा अंशदान के चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें, जिससे उपापन का विवरण हेल्पलाईन नम्बर, शिकायत करने सम्बंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित होगें।
8. समस्त करों का दायित्व संवेदक का होगा। मजदूरी पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगी। संवेदक द्वारा प्रतिमाह जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। जिसके प्रमाण रूपरूप चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत करनी होगी। इसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं एवं जारी दिशा निर्देश की पालना करने का दायित्य संवेदक का होगा।
10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से एवं निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिन पूर्ण करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को हटाने, नोटिस वेतन, मुआवजा आदि देने का उत्तरदायी संवेदक का होगा।
12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कारित घटना के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने/ई.एस.आई कराने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने आदि की जिम्मेवादी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेवादी नहीं होगी।
13. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने का कोई प्रकरण पाये जाने पर उपापन संस्था अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को सूचित करेगी तथा आवश्यकता होने पर संवेदक को विविर्जित (Debar) करने की कार्यवाही करेगी।

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर

परिशिष्ट – (ब)

वित्तिय बिड

1. बोलीदाता द्वारा निम्न तालिका के कॉलम संख्या 10 से 13 की पूर्ति की जायेगी :–

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगी				प्रतिदिन चार घंटे कार्य करने पर राशि प्रति माह	E.P.F दर 13% प्रति माह	E.S.I दर 4.75% प्रति माह	समग्री राशि उपकरण किराया	सर्विस चार्ज	G.S.T चार्ज	योग प्रति माह
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम दर	श्रमिकों की संख्या	राशि प्रति माह							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	तकनीकी शिक्षा मंडल का कार्यालय परिसर, ऊपर नीचे के बरामदें, विश्राम गृह, एवं शौचालयों की सफाई का कार्य	अर्ध कुशल	217/-	3	16926/-	8463/-	1100/-	402/-				

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर

परिशिष्ट – (अ)

तकनीकी बिड

1. बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण आदि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा :–

क्र.सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970	लागू नहीं			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)				
5	आयकर पेन नम्बर				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2. कार्य अनुभव का विवरण (संलग्न) ....
3. संवेदक की वित्तिय स्थिति का विवरण (संलग्न) ....
4. बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम मय IFSC कोड (संलग्न) ....
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण की प्रति (संलग्न) ....
6. धरोहर राशि जमा का विवरण (संलग्न) ....
7. निविदा शुल्क जमा का विवरण (संलग्न) ....

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर